ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 74-76

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

अनुसूचित जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना में परिवर्तन

1. पूरन यादव
2. डॉ0 छत्रधारी यादव

1. शोध अध्येता–समाजशास्त्र, 2. एसो0 प्रोफे0– समाजशास्त्र विभाग, राम अवध यादव गन्ना कृषक महाविद्यालय, ताखा–जौनपुर (उ0प्र0) भारत

Received-08.07.2022, Revised-15.07.2022, Accepted-20.07.2022 E-mail:kumarcomputers99@gmail.com

सारांशः– *अनुसूचित जातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले कभी उन्हें अछूत माना जाता था लेकिन आज उनके साथ अन्य जाति के लोग कम भेद–भाव कर रहे हैं। वर्ण शब्द वरणे से उत्पन्न हुआ है। इस का अर्थ होता है वरण करना या चुनना। इससे यह आशय होता है कि वर्ण से तात्पर्य किसी विशेष व्यवसाय को चुनने या अपनाने से है। वर्ण उस वर्ग का सूचक शब्द प्रतीत होता है जिसका समाज में विशिष्ट कार्य या व्यवसाय है और इस विशेषता के कारण वह समाज में एक वर्ण के रूप में प्रतिष्ठित है। भागवत में कहा गया है कि सृष्टि के प्रारम्भ में सभी मनुष्यों का केवल एक वर्ण था जिसे हंसवर्ण कहा जाता था, बाद में स्वभाव परिवर्तन के कारण चार वर्णों का जन्म हुआ। वर्णों की उत्पत्ति का ऐतिहासिक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि वर्णों की उत्पत्ति जन्म या कर्म दोनों से मानी गयी है। प्रारम्भ में कभी दो वर्ण थे– आर्य और अनार्य। आर्यों ने आर्यत्व और अनार्य भेद को बनाये रखने के लिए वर्ण व्यवस्था की योजना बनायी। इस का आधार जन्म और कर्म दोनों था। जिस वंश या समूह में जो जन्म लेता था उसी समूह का सदस्य उसे माना गया। इस के पश्चात् कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। इस प्रकार आर्य और अनार्य दो समूहों का जन्म हुआ। आर्य वर्ग में जन्म लेने वाले को द्विज तथा अनार्य वर्ग में जन्म लेने वाले को दास अथवा शूद्र कहा गया।*

कुंजीभूत शब्द– अनुसूचित जातियों, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, अछूत, वर्ण, सूचक शब्द, प्रतीत, समाज व्यवसाय।

वर्ण की उत्पत्ति के बारे में भगवद्गीता में कहा गया है कि मैंनें गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्णों की सृष्टि की है। गुण के अन्तर्गत सत्व, रज और तम तीनों गुण आते है। सत्वगुण सुख, रजोगुण कर्म और तमोगुण अज्ञान का कारण है। मनुष्य किसी न किसी गुण से प्रभावित होता है। विष्णुपुराण में ऋग्वेद के उल्लेख की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम सत्वगुण सम्पन्न ब्राह्मणों को मुख से, रजोगुण प्रधान क्षत्रियों को वक्ष स्थल से, रजोगुण और तमोगुण युक्त वैश्यों को जंघा से और तमोगुण प्रधान शूद्रों को चरण से उद्भूत किया।

इस प्रकार वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। महाभारत में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वर्ण व्यवस्था में यदा–कदा जन्म के स्थान पर कर्म को महत्त्व प्रदान किया गया है। समाज में शूद्र वर्ण की स्थिति निम्नतम् थी। शूद्र पतित माने जाते थे और उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। अधिकार एवं प्रतिष्ठा की दृष्टि से उच्च वर्ग की तुलना में ये निम्न माने जाते थे। शूद्रों की तुलना पशुओं से की गयी थी।

जिस प्रकार शरीर का सम्पूर्ण भार पैरों से होता है उसी प्रकार शूद्र वर्ण पर समाज की सेवा का पूरा भार था। मनु के अनुसार तीनों वर्णों की सेवा करना यही एक कर्म ईश्वर ने शूद्रों के लिए बनाया है। शूद्र पूरी तरह से स्वामी पर निर्भर होते थे। उनका अपना कोई धन नहीं होता था।

महाकाव्य काल में शूद्रों की दशा में कुछ प्रगति हुई। वे व्यापार एवं वाणिज्य करने के लिए आगे बढ़े। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में शूद्र प्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया था। मनु की पुस्तक मनुस्मृति में शूद्रों की स्थिति में सुधार होने के प्रमाण मिलते हैं। शूद्रों को काष्ठ–शिल्प, धातु शिल्प तथा चित्रकला आदि कर्मों को अपनाने की सलाह दी गयी। मनु ने कहा है कि शूद्र को भी उत्तम शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। मेधातिथि के मनुस्मृति भाग्य से विदित होता है कि चाण्डाल के वचन भी एक प्रकार का वचन है। यदि चाण्डाल कहता है कि इस जल में स्नान न करो, इस स्थान पर अधिक देर तक न रहो तो उसे मानना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि शूद्रों के सामाजिक उद्धार की बात सोची जाने लगी, लेकिन सामाजिक व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थी कि उन के साथ हो रहे भेदभाव को आसानी से नहीं मिटाया जा सकता है। संविधान में शूद्रों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रावधन किये गये हैं।

शोधार्थी के अध्ययन का मुख्य विषय जौनपुर जनपद की करंजाकला विकासखण्ड में स्थित अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर आधारित है। ये जातियाँ शूद्र मानी जाती हैं। सरकार द्वारा इन जातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनायें बनायी गयी हैं। आधुनिक समय में अनुसूचित जातियो की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सरकार द्वारा केन्द्रीय और राज्य सरकार की सेवाओं में इन जातियों के लिए आरक्षण की सुविधा देकर अन्य उच्च जातियों के बराबर लाने का प्रयास किया गया। इससे समाज में सामाजिक समरसता आयी और छुआछूत की भावना में काफी कमी दिखलायी देने लगी। करंजाकला क्षेत्र में शिक्षा का व्यापक प्रचार–'प्रसार हुआ, मलिन एवं दलित बस्तियों में शिक्षा की

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

अलख जगाने के लिए ऐसे स्थान पर विद्यालय खोले गये जिससे अनुसूचित जाति के बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें और शिक्षित होकर वे अपना व्यवसाय एवं रोजगार कर सकें।

सन् 1990 के बाद तेजी से ऐसा परिवर्तन हुआ कि अनुसूचित जाति/जनजाति जिन्हें दलित कहा जाता है वे जागरूक हुई और वे विभिन्न जातियों के साथ अपने को मजबूती के साथ खड़ा करने में सफल हुए।

परिवर्तन समाज का एक शाश्वत नियम है जिस प्रकार ऋतुएँ बदलती है, व्यक्ति के शारीरिक विकास में परिवर्तन होता है, बालक की योग्यता एवं बुद्धि में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार समाज में भी परिवर्तन होता है। हमने यह अनुभव किया है कि जो व्यक्ति शक्ति एवं धन में सम्पन्न है वह असहाय हो सकता है और जो व्यक्ति निर्धन है वह कभी पूँजीपति भी हो जा रहा है। इसी प्रकार समाज में रहन–सहन, खान–पान और उठने बैठने में परिवर्तन हो रहा है। पहले जब गरीबी थी तो लोग नंगे पाव चलते थे, जब पैसा हुआ तो चप्पल और जूते पहनने लगे। पहले लोग सूती वस्त्र के रूप में पैजामा और कुर्ता पहने थे आज पैंट, शर्ट और सूट पहन रहे हैं। इसी प्रकार समाज में पहले लोग अपनी जाति के लोगों के साथ खाना–पीना, उठना बैठना करते थे, लेकिन समय बदला सभी जातियों के साथ समान भाव रखने लगे। पहले लोग दलितों को अछूत मानते थे लेकिन समय एवं परिस्थिति के अनुसार युवा पीढ़ी बदली जिससे दलितों के साथ भेद–भाव कम हुआ।

दलितों ने भी अपने में काफी परिवर्तन किया है पहले वे पूरी तरह से मांस का सेवन करते थे, झुग्गी झोपड़ियों एवं गन्दे स्थानों पर रहते थे जिसके कारण उसे मलिन बस्ती कहा गया, उनके द्वारा चमड़े का काम किया जाता था। लेकिन अब परिस्थिति बदल गयी है उसमें अधिकांश लोग मांस का सेवन करना बन्द कर दिये हैं, उनके भी ईंट के पक्के मकान बन गये हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ साफ सफाई रहती है और उनके कपड़े साफ सुथरा रहते हैं। यह समाज के परिवर्तन का सूचक है। इसीलिए अब यह कहा जाने लगा है कि दलितों के सामाजिक एवं आर्थिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। दलितों के सुधार के कारण ही अन्य उच्च जातियाँ अब उनके सम्पर्क में आ रही है और उनके साथ भाई चारे का सम्बन्ध बना रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि देश से अब अस्पृश्यता का अन्त हो रहा है।

समय समय पर अनुसूचित जातियों की समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने अनेक अधिनियम एवं नीतियों का निर्माण किया है–

1. अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955.
2. नागरिक सुरक्षा अधिकार अधिनियम 1976.
3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989.
4. मैला ढोने तथा शुष्क शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबंध 1993.
5. मैला ढोने पर रोक तथा उनका पुनर्वास अधिनियम 2013.
6. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015.

इस अधिनियम के बनने में फिल्म अभिनेता आमिरखान के टी. वी. शो 'सत्यमेव जयते' का योगदान रहा है, जिसमें अस्पृश्यों के प्रति हो रहे अन्याय को दिखाया गया था। नियम कानून बन जाने से अस्पृश्यों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता जब तक उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जायेगी।

दलित उत्थान के लिए सरकारी नीतियाँ–

1. दलित छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधा।
2. अनुसूचित जातियों के लिए विद्यालयी छात्रवृत्ति।
3. अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति।
4. डा. अम्बेडकर प्री–मैट्रिक और पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति।
5. बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना।
6. डा. अम्बेडकर माधवी छात्र संशोधित योजना।
7. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
8. इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना।
9. अनुसूचित जातियों के लिए आवासीय योजना।
10. अन्तर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता।
11. अनुसूचित जाति के लोगों को सिलाई प्रशिक्षण।
12. अनुसूचित जाति के लोगों को टाइपिंग तथा डाटा इंट्री का प्रशिक्षण।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

13. गैर संगठित क्षेत्र में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की वित्तीय मदद व प्रषिक्षण।
14. प्रत्येक राज्यों ने अपने क्षेत्र में अलग–अलग योजनाएँ व नीतियाँ बना रखी हैं।
15. स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के लिए स्वरोजगार हेतु योजनाए।

स्रोत– समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ईश्वरी प्रसाद, शैलेन्द्र शर्मा, प्राचीन भारतीय संस्कृति, पृ. 301.
2. डॉ. जयशंकर मिश्र, ग्यारहवीं शदी का भारत, पृ. 119.
3. जी.एस. घुरिये, कास्ट एण्ड रेस इन एन्शेन्ट इण्डिया, पृ. 114.
4. सेलिगमैन– द इकनामिक इण्टरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, पृ. 12.
5. महाभारत, वनपर्व, पृ. 31–33
6. मनु, मनुस्मृति.

*****